

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 9

नागर विमानन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)													
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	21.46	1013.67	1035.13	571.30	885.00	1456.30	360.20	956.39	1316.59	307.00	693.88	1000.88	
पूँजी	936.79	...	936.79	1428.70	...	1428.70	1339.80	...	1339.80	1393.00	...	1393.00	
जोड़	958.25	1013.67	1971.92	2000.00	885.00	2885.00	1700.00	956.39	2656.39	1700.00	693.88	2393.88	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	2.75	16.01	18.76	8.85	13.75	22.60	8.85	14.26	23.11	9.50	16.55	26.05
नागर विमानन													
2. नागर विमानन महानिदेशक	3053	11.21	34.92	46.13	13.00	41.60	54.60	10.00	42.60	52.60	9.00	52.59	61.59
	5053	22.12	...	22.12	73.00	...	73.00	25.00	...	25.00	51.00	...	51.00
जोड़		33.33	34.92	68.25	86.00	41.60	127.60	35.00	42.60	77.60	60.00	52.59	112.59
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	...	9.58	9.58	13.95	9.84	23.79	11.25	9.84	21.09	29.35	11.13	40.48
	5053	0.52	...	0.52	30.70	...	30.70	8.80	...	8.80	107.00	...	107.00
जोड़		0.52	9.58	10.10	44.65	9.84	54.49	20.05	9.84	29.89	136.35	11.13	147.48
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के उसके हिस्से का भुगतान	3053	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
5. हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	941.00	941.00	...	800.00	800.00	...	870.00	870.00	...	600.00	600.00
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	864.58	...	864.58	1272.50	...	1272.50	1253.50	...	1253.50	1209.00	...	1209.00
	7053	49.57	...	49.57	32.50	...	32.50	32.50	...	32.50	6.00	...	6.00
जोड़		914.15	...	914.15	1305.00	...	1305.00	1286.00	...	1286.00	1215.00	...	1215.00
7. अन्य व्यय	3053	7.50	5.40	12.90	435.00	13.00	448.00	249.60	12.88	262.48	185.67	6.00	191.67
	3601	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
जोड़		7.50	5.40	12.90	435.00	13.05	448.05	249.60	12.93	262.53	185.67	6.05	191.72
जोड़-नागर विमानन		955.50	990.90	1946.40	1870.65	864.50	2735.15	1590.65	935.38	2526.03	1597.02	669.78	2266.80
अन्य परिवहन सेवाएं													
8. रेलवे सुरक्षा आयुक्त घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3075	...	6.76	6.76	...	6.79	6.79	...	6.79	6.79	...	7.59	7.59
	3075	...	...	...	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
कुल		...	6.76	6.76	...	6.75	6.75	...	6.75	6.75	...	7.55	7.55
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए http://indiabudget.nic.in													

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान														
9.01	पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	...	...	...	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
9.02	एएआई को अनुदान	3053	...	...	...	100.50	...	100.50	80.50	...	80.50	73.48	...	73.48
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए			...	...	...	120.50	...	120.50	100.50	...	100.50	93.48	...	93.48
परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान														
कुल जोड़			958.25	1013.67	1971.92	2000.00	885.00	2885.00	1700.00	956.39	2656.39	1700.00	693.88	2393.88
		विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
6.01	भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लि.	13053	800.00	6811.81	7611.81	1200.00	4434.80	5634.80	1200.00	2301.55	3501.55	1200.00	4549.36	5749.36
6.02	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	99.15	2643.39	2742.54	85.00	3009.50	3094.50	85.00	2374.50	2459.50	32.00	2494.00	2526.00
6.03	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	15.00	79.10	94.10	40.00	109.00	149.00	40.00	330.17	370.17	3.00	293.20	296.20
6.04	भारतीय होटल निगम लि.	13053	...	3.50	3.50	...	15.00	15.00	...	5.00	5.00	...	15.00	15.00
6.05	एअर इंडिया चार्टर्स लि.	13053	...	652.14	652.14	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
जोड़			914.15	10189.94	11104.09	1325.00	7588.30	8913.30	1325.00	5031.22	6356.22	1235.00	7371.56	8606.56
ग. योजना परिव्यय														
1.	नागर विमानन	13053	958.25	10189.94	11148.19	1879.50	7588.30	9467.80	1599.50	5031.22	6630.72	1606.52	7371.56	8978.08
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	120.50	...	120.50	100.50	...	100.50	93.48	...	93.48
जोड़			958.25	10189.94	11148.19	2000.00	7588.30	9588.30	1700.00	5031.22	6731.22	1700.00	7371.56	9071.56

1. **सचिवालय आर्थिक सेवा . नागर विमानन:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है। मंत्रालय हेतु आयोजना-भिन्न बजटीय आवंटन वेतन व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए है। यह आयोजना आवंटन निम्नलिखित के लिए व्यय की पूर्ति करेगा (i) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकार अपीलीय अधिकरण, (ii) अन्तरराष्ट्रीय परिचालन तथा विमानन अध्ययन हेतु भारतीय कैरियर की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, (iii) नागर विमानन के क्षेत्र में प्रबन्धन तथा नियंत्रण बढ़ाने हेतु आईटी टूलस तथा क्षमता निर्माण-उपायों का प्रयोग और (v) विमानन क्षेत्र से सम्बद्ध सम्मेलन और संगोष्ठियां

2. **नागर विमानन महानिदेशालय का कार्यालय:** इस शीर्ष के अंतर्गत गैर योजनागत प्रावधान नागर विमानन महानिदेशालय और उसके क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए है। योजनागत प्रावधान में विकास परियोजनाएं तथा परामर्श, प्रशिक्षण परियोजनाएं, सूचना प्रौद्योगिकी पर परियोजनाएं तथा नागर विमानन महानिदेशालय

भवन के निर्माण का कार्य शामिल है। इसमें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के प्रति भारत के योगदान के लिए प्रावधान भी शामिल है।

3. **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो:** गैर योजनागत प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए है। योजनागत प्रावधान सुरक्षा उपकरणों, आईटी उपकरणों तथा इसके सहायक उपकरणों और रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरणों की खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं। बजटीय प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पुनर्संरचना, मुख्यालय भवन के निर्माण तथा विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के लिए भी है। बजट में आईसीएओ के सहकारी विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के लिए भारत के योगदान हेतु तथा विमानन सुरक्षा से संबंधित सम्मेलन तथा संगोष्ठियों के लिए भी प्रावधान है।

4. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान तथा यात्री सेवा शुल्क में एफटीटी का उसका भाग:** यह प्रावधान सरकार द्वारा एकत्र विदेशी यात्रा कर के उसके भाग के प्रति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उसके भुगतान के लिए है। इस योजना को 01.04.2001 को बंद कर दिया गया है 01.04.2001 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर यात्री सेवा शुल्कों को लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। लंबित दावों के निपटान के लिए वर्ष टोकन प्रावधान किया गया है जिन्हें लेखों के गैर-विनियोजन के कारण पहले निपटाया नहीं जा सका है।

5. **हज चार्टर्स के प्रचालन के लिए राज सहायता:** इस शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान नेशनल एविएशन कंपनी लिमिटेड (एअर इंडिया) को राज सहायता के भुगतान के लिए 600 करोड़ रूपए का गैर योजनागत बजटीय प्रावधान किया गया है।

6. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** इस शीर्ष के अन्तर्गत आवंटन पूर्वोत्तर राज्यों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे लेह श्रीनगर, अगाती, पोर्ट ब्लेयर, तिरुपति तथा पुडुचेरी में विभिन्न विमानपत्तनों के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बजटीय सहायता जारी करने के लिए है। इसके अलावा, गगन प्रोजेक्ट, सुरक्षा तथा रक्षा उपस्कर की संस्थापना जैसी कुछ अन्य योजनाओं को शामिल किया गया है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. को हेलीकॉप्टर सिमुलेटर की खरीद हेतु रखा गया है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लिमिटेड हेतु राहत पैकेज के रूप में इक्विटी समावेशन हेतु भी प्रावधान किया गया है।

7. **अन्य व्यय:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा एयरो क्लब ऑफ इंडिया तथा विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को अनुदान सहायता के भुगतान के लिए योजना के अंतर्गत 185.67 करोड़ रूपए तथा गैर योजना के अंतर्गत 6.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

8. **रेल संरक्षा आयोग:** इस शीर्ष के अंतर्गत 7.59 करोड़ रूपए का गैर योजनागत प्रावधान रेल संरक्षा आयोग के स्थापना व्ययों के लिए किया गया है जो रेल यात्रा और प्रचालन की सुरक्षा से संबंधित है और भारतीय रेल अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों में विनिर्दिष्ट कतिपय सांविधिक कार्यों के निष्पादन से संबंधित है।

9. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के हितों की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 93.48 करोड़ का एकमुश्त योजनागत बजट प्रावधान किया गया है।